

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 260/2026

अनवान : -

1. रामसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. जुगतीराम पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
2. संदीप कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
3. कविता पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
4. मांगीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
5. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
6. राकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
7. कामना पुत्री मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
8. प्रमिला पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
9. प्रमोद पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
10. बाधो देवी पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
11. संजीव पुत्र मदनलाल जाति निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर
12. रामकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
13. साधुराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
14. सरोज पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
15. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
16. अमीत सिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
17. संदीप कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
18. सुमन पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
19. मदनलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
20. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
21. गुडी पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
22. मिरा पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
23. रचना पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
24. समेस्ता पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
25. मैना देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
26. निरमा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
27. साहील पुत्र सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
28. रविन्द्र पुत्र सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
29. निरज सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
30. राजबाला पुत्री बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर
31. मंजू पुत्री बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
32. दिनेश पुत्र सोना देवी पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर
33. पवन पुत्र सोना देवी पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
34. सतीश पुत्र महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
35. कपील पुत्र महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
36. रचना पुत्री महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
37. नितु पुत्री महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
38. सुमन पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
39. कविता पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
40. पुजा पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
41. राजपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
42. श्रीराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

43. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 11/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 855/855 के खसरे 2 की कुल तादादी 9.7380 है० व खाता स० 577/577 के कुल खसरे 2 कि कुल तादादी 15.2770 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज दाखिल है व मुश्तरका रूप से ही रकम राज अदा करते चले आ रहे है। वाद भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 855/855 के खसरे 2 की कुल तादादी 9.7380 है० व खाता स० 577/577 के कुल खसरे 2 कि कुल तादादी 15.2770 है० भूमि का बाहमि बटवारा किया हुआ है प्रतिवादी स० 19 ता 42 जो कि एक हि परिवार के सदस्य है जाँ वाद भूमि में कोई भी हक हिस्सा नहीं लेना चाहती इस प्रकार बाद हक त्याग प्रतिवादी स० 19 ता 42 का कोई हक हिस्सा नहीं है।

भूमि मुश्तरका होन के कारण से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल से सम्बन्धित विवाद बना रहता है वादी विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक समझोता निम्न प्रकार से काबिज है—
रोहि मौजा भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 मै.सै. 0.620 हैं, खसरा न. 53/2 मै.से. 0.7276 हैं, खसरा न. 52/2 मै. सें. 0.3921 हैं व खसरा न. 52/3 मै. से 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 मै. से 0.635 हैं, कुल 2.6531 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 1 जुगतीराम पुत्र राजपाल काबिज है एवं रोही मौजा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 मै. सें. 1.3749 हैं, खसरा न. 52/2 मै. सें. 0.3647 हैं व खसरा न. 52/3 मै. सें 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 मै. सें 0.635 हैं, 2.653 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 2 संदीप कुमार पुत्र इन्द्राज काबिज है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 मै.सै. 0.677 हैं, खसरा न. 53/2 मै. सें. 0.617 हैं, खसरा न. 52/2 मै. सें. 0.4455 हैं व खसरा नं. 52/3 मै. से 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 मै. से 0.635 हैं, कुल 2.6529 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 3 व 4 कविता पत्नी मांगीलाल व मांगीलाल पुत्र इन्द्राज बहिब काबिज है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 मै. सें. 1.8497 हैं, खसरा न. 52/2 मै सें. 0.5698 हैं खसरा न. 53/4 मै. सें. 0.3185 हैं, खसरा न. 52/3 मै.सें. 0.0989 हैं खसरा न. 52/3 मै. सें. 0.9525 है. कुल 3.7894 हैं में से प्रतिवादी स० 5 मुकेश पुत्र ओमप्रकाश 20844/37894 हिस्सा पर काबिज है। व प्रतिवादी स० 6 राकेश पुत्र ओमप्रकाश

Lalul
उपसष्ट अधिकारी
नोहर

17050/37894 हिस्सा पर काबिज है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.1897 हैं, खसरा न. 53/2 में से 0.1897 हैं कुल 4.1688 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 6 राकेश पुत्र ओमप्रकाश काबिज है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 2.2429 हैं, खसरा न. 52/2 में से 0.556 हैं व खसरा न. 52/3 में से 0.9525 हैं, खसरा न. 53/4 में से 0.4174 हैं. कुल किता 2 की कुल 4.1688 हैं में से प्रतिवादी स० 7 कामना पुत्री मानसिह 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 प्रमिला पत्नी मानसिह 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स० 9 प्रमोद पुत्र मानसिह व प्रतिवादी स० 10 बाधो देवी पत्नी मदलाल 1/8 हिस्सा पर प्रतिवादी स० 11 सजीव पुत्र, मदनलाल 1/2 हिस्सा पर काबिज है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.933 हैं, व ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 52/3 में से 0.1392 हैं, खसरा न. 52/3 में से 0.3176 हैं, कुल 1.3898 हैं भूमि पर वादी रामसिह पुत्र रामचन्द्र काबिज है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.7685 हैं, व खसरा न. 52/3 में से 0.1392 हैं, खसरा न. 52/3 में से 0.3176 हैं. 1.2253 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 12 रामकुमार पुत्र रामचन्द्र काबिज है एवं भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.933 हैं, व खसरा न. 52/3 में से 0.3176 हैं, खसरा न. 52/3 में से 0.0692 हैं, खसरा न. 53/4 में से 0.070 हैं, कुल = 1.3898 हैं पर प्रतिवादी स० 13 साधुराम पुत्र रामचन्द्र काबिज है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.7501 हैं, खसरा न. 52/2 में से 0.1829 हैं व खसरा न. 52/3 में से 0.3175 हैं, खसरा न. 52/3 में से 0.0482 हैं, खसरा न. 53/4 में से 0.091 है, कुल 1.3897 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 14 सरोज पत्नी महेन्द्र काबिज है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.933 हैं, व खसरा न. 52/3 में से 0.3176 हैं, खसरा न. 52/3 में से 0.0772 हैं, खसरा न. 53/4 में से 0.062 हैं, कुल = 1.3898 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 15 राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र काबिज है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.915 हैं, खसरा न. 53/2 में से 0.1138 हैं खसरा न. 52/2 में से 0.018 हैं कुल 1.0468 में से 4660/10468 हिस्सा पर प्रतिवादी स० 16 अमीत पुत्र बनवारी व 5808/10468 हिस्सा पर प्रतिवादी स० 17 काबिज है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 52/3 में से 0.3175 हैं, खसरा न. 52/3 में से 0.0865 हैं, खसरा न. 53/4 में से 0.0531 हैं, कुल 1.5039 हैं पर प्रतिवादी स० 16 व 17 बहिब काबिज है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.3795 हैं मे से प्रतिवादी स० 1 जुगतीराम पुत्र राजपाल 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 कविता पत्नी मांगीलाल 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 संदीप पुत्र इन्द्राज काबिज है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.0506 हैं, कुल 0.0506 हैं पर प्रतिवादी स० 18 काबिज है इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Lalul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 42 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 42 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 43 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही उक्त भूमि का खाता व लगान अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादी सं० 1 ता 42 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता मे दर्ज है वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही उक्त भूमि का खाता व लगान अलग करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स० 1 ता 42 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोहि मौजा भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 मै.सै. 0.620 हैं, खसरा न. 53/2 में.से. 0.7276 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.3921 हैं व खसरा न. 52/3 में. से 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 में. से 0.635 हैं, कुल 2.6531 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 1.3749 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.3647 हैं व खसरा न. 52/3 में. सें 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.635 हैं, 2.653 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में.सै. 0.677 हैं, खसरा न. 53/2 में. सें. 0.617 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.4455 हैं व खसरा नं. 52/3 में. से 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 में. से 0.635 हैं, कुल 2.6529 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 3 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 1.8497 हैं, खसरा न. 52/2 में सें. 0.5698 हैं खसरा न. 53/4 में. सें. 0.3185 हैं, खसरा न. 52/3 में.सें. 0.0989 हैं खसरा न. 52/3 में. सें. 0.9525 है. कुल 3.7894 हैं का प्रतिवादी स० 5 को 20844/37894 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी स० 6 राकेश पुत्र ओमप्रकाश 17050/37894 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में.से. 0.1897 हैं, खसरा न. 53/2 में. सें. 0.1897 हैं कुल 4.1688 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में.सें. 2.2429 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.556 हैं व खसरा न. 52/3 में. सें 0.9525 हैं, खसरा न. 53/4 में. सें 0.4174 हैं. कुल कित्ता 2 की कुल 4.1688 हैं में से प्रतिवादी स० 7 को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स० 9 को व प्रतिवादी स० 10 बाधो देवी पत्नी मदनलाल 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी स० 11 सजीव पुत्र मदनलाल 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 0.933 हैं, व ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 52/3 में. सें 0.1392 हैं, खसरा न. 52/3 में. से 0.3176 हैं, कुल 1.3898 हैं भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 0.7685 हैं, व खसरा न. 52/3 में. सें 0.1392 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.3176 हैं. 1.2253 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 0.933 हैं, व खसरा न. 52/3 में. सें 0.3176 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.0692 हैं, खसरा न. 53/4 में. से 0.070 हैं, कुल = 1.3898 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. में 0.7501 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.1829 हैं व खसरा न. 52/3 में. सें 0.3175 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.0482 हैं, खसरा न. 53/4 में. सें 0.091 है, कुल 1.3897 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा

Zalul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 1.0468 में से 4660/10468 हिस्सा का प्रतिवादी स० 16 को व 5808/10468 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स० 17 को एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 52/3 में से 0.3175 हैं, खसरा न. 52/3 में से 0.0865 हैं, खसरा न. 53/4 में से 0.0531 हैं, कुल 1.5039 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 16 व 17 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.3795 हैं मे से प्रतिवादी स० 1 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स० 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में से 0.0506 हैं, कुल 0.0506 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 18 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त भूमि में मृतक इन्द्राज, रामचन्द्र पुत्रगण ठाकरराम व प्रतिवादी स० 42 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत/स्थानान्तरित करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 260/2026

अनवान : -

1. रामसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. जुगतीराम पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
2. संदीप कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
3. कविता पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
4. मांगीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
5. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
6. राकेश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
7. कामना पुत्री मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
8. प्रमिला पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
9. प्रमोद पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
10. बाधो देवी माता मानसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
11. संजीव पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
12. रामकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
13. साधुराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
14. सरोज पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
15. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
16. अमीत सिंह पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
17. संदीप कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
18. सुमन पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
19. मदनलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
20. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
21. गुडी पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
22. मिरा पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
23. रचना पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
24. समेस्ता पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
25. मैना देवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
26. निरमा पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
27. साहील पुत्र सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
28. रविन्द्र पुत्र सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
29. निरज पुत्र सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
30. राजबाला पुत्री बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
31. मंजू पुत्री बनवारी पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
32. दिनेश पुत्र सोना देवी पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
33. पवन पुत्र सोना देवी पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
34. सतीश पुत्र महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
35. कपील पुत्र महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
36. रचना पुत्री महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
37. नितु पुत्री महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
38. सुमन पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
39. कविता पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
40. पुजा पुत्री राजपाल जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
41. राजपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
42. श्रीराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
43. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 260 सन 2026 निर्णय दिनांक 11/06/26

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोहि मौजा भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 मै.सै. 0.620 हैं, खसरा न. 53/2 में.से. 0.7276 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.3921 हैं व खसरा न. 52/3 में. से 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 में. से 0.635 हैं, कुल 2.6531 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 1.3749 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.3647 हैं व खसरा न. 52/3 में. सें 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.635 हैं, 2.653 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में.सै. 0.677 हैं, खसरा न. 53/2 में. सें. 0.617 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.4455 हैं व खसरा न. 52/3 में. से 0.2784 हैं, खसरा न. 52/3 में. से 0.635 हैं, कुल 2.6529 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 3 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 1.8497 हैं, खसरा न. 52/2 में सें. 0.5698 हैं खसरा न. 53/4 में. सें. 0.3185 हैं, खसरा न. 52/3 में.सें. 0.0989 हैं खसरा न. 52/3 में. सें. 0.9525 है. कुल 3.7894 हैं का प्रतिवादी स० 5 को 20844/37894 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी स० 6 राकेश पुत्र ओमप्रकाश 17050/37894 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में.से. 0.1897 हैं, खसरा न. 53/2 में. सें. 0.1897 हैं कुल 4.1688 हैं भूमि पर प्रतिवादी स० 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में.सें. 2.2429 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.556 हैं व खसरा न. 52/3 में. सें 0.9525 हैं, खसरा न. 53/4 में. सें 0.4174 हैं. कुल किता 2 की कुल 4.1688 हैं में से प्रतिवादी स० 7 को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स० 8 को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी स० 9 को व प्रतिवादी स० 10 बाधो देवी पत्नी मदलाल 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी स० 11 सजीव पुत्र मदनलाल 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 0.933 हैं, व ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 52/3 में. सें 0.1392 हैं, खसरा न. 52/3 में. से 0.3176 हैं, कुल 1.3898 हैं भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 0.7685 हैं, व खसरा न. 52/3 में. सें 0.1392 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.3176 हैं. 1.2253 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 0.933 हैं, व खसरा न. 52/3 में. सें 0.3176 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.0692 हैं, खसरा न. 53/4 में. से 0.070 हैं, कुल = 1.3898 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. में 0.7501 हैं, खसरा न. 52/2 में. सें. 0.1829 हैं व खसरा न. 52/3 में. सें 0.3175 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0. 0482 हैं, खसरा न. 53/4 में. सें 0. 091 है, कुल 1.3897 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में.से. 0.933 हैं, व खसरा न. 52/3 में. से 0.3176 हैं. , खसरा न. 52/3 में. से 0.0772 हैं, खसरा न. 53/4 में. से 0.062 हैं, कुल = 1.3898 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 15 को को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें 0.915 हैं, खसरा न. 53/2 में. सें 0.1138 हैं खसरा न. 52/2 में, सें. 0.018 हैं कुल 1.0468 में से 4660/10468 हिस्सा का प्रतिवादी स० 16 को व 5808/10468 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स० 17 को एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 52/3 में. सें 0.3175 हैं, खसरा न. 52/3 में. सें 0.0865 हैं, खसरा न. 53/4 में. से 0.0531 हैं, कुल 1.5039 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 16 व 17 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. सें. 0.3795 हैं मे से प्रतिवादी स० 1 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स० 2 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स० 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम भूकरका तहसील नोहर के खसरा न. 53/2 में. से. 0.0506 हैं, कुल 0.0506 हैं भूमि का प्रतिवादी स० 18 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त भूमि में मृतक इन्द्राज, रामचन्द्र पुत्रगण ठाकरराम व प्रतिवादी स० 42 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत/स्थानान्तरित करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर नोहर